

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक-

संख्या-12/निजी-70134/2023 सा0प्र0-

/श्रीमती स्वाती कुमारी, बि0प्र0से0

(को0क्र0-684/24), तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता अधिसूचित-वरीय उप समाहर्ता, जमुई को विभागीय अधिसूचना सं0-10034, दिनांक-02.06.2025 द्वारा दिनांक-15.06.2025 से दिनांक-11.12.2025 तक कुल-180 दिनों की पूर्व से स्वीकृत मातृत्व छुट्टी के क्रम में उनके प्रथम संतान की देख-भाल हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम-220A के तहत दिनांक-12.12.2025 से दिनांक-12.03.2026 तक कुल-90 (नब्बे) दिनों की शिशु-देखभाल छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त छुट्टी के उपभोग के उपरांत श्रीमती कुमारी के पक्ष में 730-90=640 (छ: सौ चालीस) दिनों की शिशु-देखभाल छुट्टी आदेय होगी।

3. श्रीमती कुमारी को निदेश दिया जाता है कि वित्त विभागीय परिपत्र सं0-5632, दिनांक-10.12.2015 की कंडिका-8(iii) के आलोक में उक्त छुट्टी से लौटने संबंधी वेतन पुर्जा निर्गत करने हेतु अपने धारित पद का प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


ह0/-

(राजीव रंजन दास)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-12/निजी-70134/2023 सा0प्र0-.....2165...../पटना, दिनांक-30.1.26.

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग पटना के माध्यम से) बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, खगड़िया को उनके पत्रांक-788/स्था0, दिनांक-10.12.2025 के प्रसंग में/जिला पदाधिकारी, जमुई/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/श्रीमती स्वाती कुमारी, बि0प्र0से0 (को0क्र0-684/24), तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, खगड़िया अधिसूचित-वरीय उप समाहर्ता, जमुई/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥


पटना-15, दिनांक:...../...../2026

संख्या-14/निजी-921/2023-...../सा०प्र०, श्री राजीव शंकर, बि०प्र०से० (को०क्र०-17/24), संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को उनकी पुत्री के वैवाहिक कार्यक्रम के सम्पादन हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक 02.02.2026 से 13.02.2026 तक की कुल 12 (बारह) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त छुट्टी के उपरांत श्री शंकर के पक्ष में कुल 300-12=288 दिनों की उपार्जित छुट्टी आदेय होगी।

3. श्री राजीव शंकर को निदेश दिया जाता है कि वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-5632, दिनांक-26.06.2015 की कंडिका-(iii) के आलोक में उक्त छुट्टी से लौटने के उपरान्त वेतन पर्जा निर्गत करने हेतु अपने धारित पद का प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन महालेखाकार(ले० एवं ह०) बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया करेंगे।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(राजीव रंजन दास)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-14/निजी-921/2023-2188/सा०प्र०, पटना-15, दिनांक:30/01/2026

प्रतिलिपि: प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई०टी०, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/अपर मुख्य सचिव के आर्पित सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना / श्री राजीव शंकर, बि०प्र०से०, संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना /प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक (I.T), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-29 (बि०प्र०से० चारित्री कोषांग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के उप सचिव

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक-

संख्या-12/निजी-70400/2023 सा0प्र0- /सुश्री डेजी रानी, बि0प्र0से0 (को0क्र0-923/24), अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा को निजी पारिवारिक कारणों से बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-08.12.2025 से दिनांक-07.01.2026 तक कुल-31 (इकतीस) दिनों की उपार्जित छुट्टी की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. सुश्री रानी, बि0प्र0से0 को उक्त छुट्टी की स्वीकृति के उपरान्त कुल-135-31=104 (एक सौ चार) दिनों की उपार्जित छुट्टी एवं कुल-80 (अस्सी) दिनों की अर्द्धवैतनिक छुट्टी शेष आदेय होगी।

3. सुश्री रानी को निदेश दिया जाता है कि वित्त विभागीय परिपत्र सं0-5632, दिनांक-26.06.2015 की कंडिका-8(iii) के आलोक में उक्त छुट्टी से लौटने संबंधी वेतन पुर्जा निर्गत करने हेतु अपने धारित पद का प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(राजीव रंजन दास)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-12/निजी-70400/2023 सा0प्र0- 2221 /पटना, दिनांक- 30-1-26

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग पटना के माध्यम से) बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/जिला पदाधिकारी, मधेपुरा/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सुश्री डेजी रानी, बि0प्र0से0 (को0क्र0-923/24), अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के उप सचिव।